रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 29] नई दिल्ली, जुलाई 14—जुलाई 20, 2019, शनिवार/आषाढ़ 23— आषाढ़ 29, 1941

No. 29] NEW DELHI, JULY 14—JULY 20, 2019, SATURDAY/ASHADHA 23— ASHADHA 29, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2019

सा.का.नि.208.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध प्रयोगशाला तकनीशियन, क्लिनिकल प्रयोगशालाओं में तकनीकी सहायक और प्रयोगशाला सहायक के पदों से है, सिवाए उन बातों के अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्, (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर तथा कारणों को लेखबद्ध करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्	44* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/- रु.)	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **नोट 1:** आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख़ अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी न कि वह नियत तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान में स्नातक की डिग्री। (ii) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् या प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् के रूप में दो वर्षों का अनुभव। **टिप्पण-1:** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण-2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	नहीं	दो वर्ष	दस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा और नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: कलावती सरन बाल अस्पताल के कनिष्ठ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर -5 (29200-92300 रुपए) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा यथानिर्धारित प्रयोगशाला में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। **टिप्पण:** जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:** अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; प्रयोगशाला विभाग के प्रधान, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य; स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल अनुभाग के प्रभारी उपनिदेशक प्रशासन - सदस्य; लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली के उपनिदेशक - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है

विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा, आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी: (क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रु. 29200-92300) या समतुल्य में छह वर्षों की नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1:** पोषक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	**समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:** अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; प्रयोगशाला विभाग के प्रधान, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य; स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल अनुभाग प्रभारी उपनिदेशक प्रशासन - सदस्य; लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली के उपनिदेशक - सदस्य।	

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं.ए. 12018/01/2016-एमएच-II]

जी. पी. सामंत, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 8th July, 2019

G.S.R.208.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the posts of Laboratory Technician, Technical Assistant in clinical laboratories and Laboratory Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Medical Laboratory Technologist, Kalawati Saran Children's Hospital , New Delhi, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, Medical Laboratory Technologist,(Group 'B' post) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5.Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and in consultation with the Union Public Service Commission and reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6.Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes. Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Medical Laboratory Technologist	44* (2019) Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non - Gazetted Non-Ministerial.	Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-	Selection	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

			112400)		**Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(I) Bachelors degree in Medical Laboratory Science from a recognised University or Institute. (II) Two years experience as Medical Laboratory Technologist or Laboratory Technologist from a recognised Hospital or Institute. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The Qualification(s) regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	No	Two years	Ten percent by promotion failing which by deputation (including short term contract) and ninety percent by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Junior Medical Laboratory Technologist of Kalawati Saran Children's Hospital with six years regular service in level 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) who have successfully completed training of two weeks in a Laboratory as	**Group 'B' Departmental Promotion Committee(for considering promotion)consisting of :-** Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi -Chairman; Professor of Pediatrics, Kalawati Saran Children's Hospital , New Delhi -Member; Chief Technical Officer ,Department of Laboratories -Member;	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

prescribed by the department. **Note:** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation(including short term contract): I) Officers of the Central Government or State Government or Union territory administration or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research institutes: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department ; and (b) possessing educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7) **Note 1**: The departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2:** Period of Deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years on the closing date of receipt of applications.	Deputy Director in-charge of the Medical Education Division ,Directorate General of Health Services -Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi -Chairman; Chief Technical Officer, Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi -Member; Deputy Director Administration, in-charge of Medical Hospital Section of Directorate General of health Services - Member; Deputy Director in-charge of the Medical Education Division ,Directorate General of Health Services. -Member.	

[F. No.A.12018/01/2016-MH-II]

G. P. SAMANTA, Under Secy.